न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2024

बउनवान

ममता उर्फ कमलाबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी भडसुई तहसील बारां जिला बारां

अपीलांटा

बनाम

1. हेमराज पुत्र मोतीलाल
2. खेमराज पुत्र मोतीलाल
3. तुलसां पुत्री मोतीलाल जातिगण मीणा निवासीगण भडसुई तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राज० रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी इंतकाल न० 592 दिनांक 08.07.2005 न्यायालय नायब तहसीलदार बारां

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांटा)

2. श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 13.11.2024

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 8.7.2005 न्याय कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जमाबंदी में अंकित नाम केसरबाई का देहान्त हो चुका है तथा अपीलांटा व रेस्पो० मृतक केसरबाई के वारिसान है। केसरबाई राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है इस कारण केसरबाईको उक्त प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांटा एवं रेस्पोगण के खाते की आराजियात ग्राम तिसाया में खसरा नं0 285 रकबा 0.07 हेक्टे० खसरा नं0 286 रकबा 0.95 हेक्टे० खसरा नं0 287 रकबा 0.24 हेक्टे० कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 हेक्टे० पूर्व में अपीलांटा व रेस्पो के पिता मोतीलाल के नाम दर्ज थी। अपीलांटा के पिता मोतीलाल के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा उनका फोती नामान्तकरण खोलते वक्त जो सजरा नामानतकरण मे दर्ज किया गया है उसमे अपीलांटा का नाम ममता दर्शाया गया है जबकि अपीलांटा का वास्तविक नाम कमलाबाई है राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा मृतक खातेदार मोतीलाल के विधिक वारिसानो की सही तरीके से जाचं नही कर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है जो वास्तविक तथ्यो के विपरीत होने के कारण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांटा का नाम आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड, आधार कार्ड, व समस्त अन्य सरकारी दस्तावेजातो मे कमलाबाई पुत्री मोतीलाल पत्नी हजारीलाल दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपीलांटा का नाम ममता दर्ज होने के कारण अपीलांटा को अपने राजस्व सम्बन्धी कार्यो मे परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अपीलांटा का नाम राजस्द रिकार्ड में नामान्तकरण सं० 592 से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ है जो राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो की गलती के कारण दर्ज किया गया है जो विधि के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटा द्वारा अपने खाते की आराजियात पर भू सुधार करने हेतु ... के लिये जमाबंदी निकलवाई तब अपीलांटा का नाम खाते मे नही देखकर अपीलांटा द्वारा हल्का पटवारी से संपर्क कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे नही होने का ... पूछा तो ... आधार मृतक मोतीलाल के नामान्तकरण में कमलाबाई का नाम ममताबाई दर्ज होना बताया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल नं0 592 दिनांक 8-7-2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस बाबत निर्देश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि मृतक खातेदार मोतीलाल के विधिक वारिसानो की पुनः जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांटा का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि में कमलाबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि हजारीलाल दर्ज है, लेकिन इंतकाल खोलते समय कमलाबाई के स्थान पर ममता दर्ज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 592 दिनांक 08.07.2005 वाके माल तिसाया को निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम ममता के स्थान पर कमलाबाई दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने अपील अपीलांटगण के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटा द्वारा अपील के समर्थन में ममता का वास्तविक व दस्तावेजी नाम कमलाबाई होने के संबंध में आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम तिसाया का नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 08.07.2005 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक मोतीलाल पुत्र भोलू जाति मीणा निवासी भड़सुई के विधिक वारिसान के संबंध में जांच कर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:17 IST
Reason: SelfAttested